फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जयपु

बबूलाल बनाम छोटू व अन्य

प्रार्थना पत्र संख्या 17/2021

दिनांक	आदेश	
10–02–2021	प्रार्थी की ओर से एडवोकेट श्री रमेश राय ने प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण पेश किया। अन्तरिम आदेश हेतु प्रार्थी के अधिवक्ता को एकपक्षीय सुना गया। प्रार्थी के अधिवक्ता को सुनने एवं पत्रावली, जमाबन्दी, का अवलोकन करने तथा दस्तावेजों का अवलोकन करने पर प्रार्थी का प्रकरण प्रथम दृष्टया मामला सुदृढ़ एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः उभय पक्षकारान् को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम मथूरादासपुरा तहसील जमवारामगढ़ मे स्थिति भूमि खसरा नं. 415, 419, 424, 432, 433, 506, 521, 522, 523, कुल किता 9 कुल रकबा 2.9100 हैक्टेयर का बैचान हस्तातंरण किसी अन्य दिगर को नहीं करें, प्रार्थी के हिस्से में उपयोग उपभोग व कृषि कार्य में मजाहमत नहीं करे, प्रार्थी के हिस्से की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास नहीं करें, किसी प्रकार से कच्चा पक्का निर्माण कार्य नहीं करें, तथा राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। उक्त आदेश पर कोई आपत्ति हो तो न्यायालय हाजा में आगामी तारीख पेशी को पेश करें। पत्रावली दिनांक 31-3-21 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो।	
31/3/21	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित नहीं। पत्रावली पूर्वानुसार तलबी रजिस्टर्ड डाक द्वारा जारी हो। पत्रावली दि. 25/5/21 को पेश हो।	

23/5/24 पत्रावली पेश हुई ... काडजा होगी ... ... दिनांक 6/9/24 को पेश हो।

6/9/24 पत्रावली पेश हुई ... चुनाव कार्य में व्यस्तता ... स्थगित की गई। पूर्वानुसार पत्रावली दिनांक 8/12/24 को पेश हो।

8/12/21 पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प 7.12.21 में पेश हुई। उभय पक्षों में सहमति नहीं हुई। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 24/3/22 को पेश हो।

शिविर प्रभारी
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ (जयपुर)

24/3/22 पत्रावली पेश हुई, अधिवक्ता संघ द्वारा वर्कलोड/कार्य का बहिष्कार करने पर पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 21/6/22 पेश हो।

21/6/22 पत्रावली पेश हुई, अधिवक्ता संघ द्वारा वर्कलोड/कार्य का बहिष्कार करने पर पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 1/08/22 पेश हो।

1/8/22 पत्रावली पेश हुई, अधिवक्ता संघ द्वारा वर्कलोड/कार्य का बहिष्कार करने पर पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 17/10/22 पेश हुई।

17/10/22 पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी अनुप० वकील प्रार्थी व प्रार्थी को आवाज लगाई गई लेकिन उप० नहीं। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली को अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली ... होकर ... हो, बाद ... होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ ...